भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 590

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी

590. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अनंतपुर जिले में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई- एआईबीपी) के अंतर्गत चल रही और पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का उनके स्थानों और अनुमानित सिंचाई क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान अनंतपुर जिले में परियोजनाओं के लिए पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का आवंटन, वितरण और उपयोग किया गया;

(ग) क्या अनंतपुर जिले में नई पीएमकेएसवाई- एआईबीपी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से संबन्धित कोई प्रस्ताव पिछले पांच वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नंदयाल जिले में स्वीकृत पीएमकेएसवाई- एआईबीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई चुनौती अथवा बाधाएँ आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनंतपुर जिले में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और क्या विशेष रूप से सूक्ष्म सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता में सुधार जैसी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अंब्रेला स्कीम है, जिसमें जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि, हर खेत को पानी (एचकेकेपी) में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन, सतही लघु सिंचाई योजना, जल निकायों की मरम्मत-नवीनीकरण-बहाली और भूजल प्रबंधन का कार्य शामिल हैं। तथापि, भूमि जल प्रबंधन का कार्य अब बंद कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रति बूंद अधिक फसल

(पीडीएमसी) को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 2016-22 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की अंब्रेला स्कीम के तहत लागू किया गया था, जिसे अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने 2016 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लॉन्च होने के बाद इसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनंतपुर या नंदयाल जिले से संबंधित किसी भी सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ड़): वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 70.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 135 जल निकायों का एक समूह, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी को जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली घटक के तहत आंध्र प्रदेश से शामिल किया गया था। इस समूह के 33 जल निकाय अनंतपुर जिले से संबंधित हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा उपुर्यक्त कार्य के कार्यान्वयन में कोई प्रगति सूचित नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत लघु सिंचाई अर्थात् ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन के लिए सहायता-राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत, 2015-16 से 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 1.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत, भूमि संसाधन विभाग ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 23,303 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

*****